Land for Land

# कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा

कमांकःप.17 ( )राजस्व–III/ 328-34 दिनांकः– 10 -2-2016

उपवन संरक्षक,
कोटा।

विषय :–बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा के पत्र कमांक 138–140 दिनांक 28–7–2015 से बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली 4 हैक्टर वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। जिसके कम में उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्र कमांक 1148 दिनांक 18.12.2015 से बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि मे डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 पश्चित की तरफ तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के सिवायचक ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि उत्तर की तरफ के निर्धारित चैकलिस्ट में प्रस्ताव प्राप्त किये गये। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली है तथा उक्त भूमि वन विभाग को देने में कोई आपत्ति नही है। उक्त कम में आप द्वारा भी पत्र कमांक एफ ( )तक0/उवसं/2015–16/843 दिनांक 22.1.2016 से वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि को वन विभाग को हस्तानान्तरण करने हेतु सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत मांदलिया, पं0स0 लाडपुरा द्वारा भी उक्त भूमि को वन विभाग को दिये जाने पर कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रस्तावानुसार एवं आपकी सहमति तथा ग्राम पंचायत मांदलिया की अनापत्ति के आधार पर बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि मे डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम रानपुर, दौलतगंज, रोझडी, जगपुरा, बंधा, आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब, आनन्दपुरा, लखावा, रथकांकरा की 1.2971 है0 तथा ग्राम डोबडा, सारंगपुर, लक्ष्मीपुरा उर्फ कोलाना, कसार, श्यामपुरा, रानक्याखेडी, खानपुरिया, पचपाहडा, डोलिया, विजयपुरा, पाचनकुई, किशोरसागर, केवलनगर, आलनिया, पृथ्वीपुरा, किशनपुरा, जशपुरा, केशोपुरा, रोझला, मांडलगढ, बोराबास की 2.60874 व0मी0 कुल रकबा 4.00 है0 (सूची संलग्न) के बदले , राजस्व भूमि गाम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि (पश्चिम की तरफ) को वन विभाग को हस्तानान्तरण किये जाने की सहमति दी जाती है। तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि (उत्तर की तरफ) को चारागाह में परिवर्तित की जाती है। अतः बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि में पाईप लाईन डाले जाने के कार्य हेतु शीघ्र वन भूमि नियमानुसार आवंटन करने का श्रम करें।

भवदीय
10/2
जिला कलक्टर
कोटा

कमांकःप.17 ( )राजस्व–III/ 328-34 दिनांकः– 10 -2-2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1– उपवन संरक्षक, कोटा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत कोटा।
3– अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा को पत्र कमांक 138–140 दिनांक 28–7–2015 के कम में।
4– उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
5– तहसीलदार, लाडपुरा।
6– ग्राम पंचायत मांदलिया, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा।
7– रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
कोटा